न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

I/ निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/1411

गौरीशंकर बल्द परसादी लाल साहू

साकिन वार्ड नं. 7 तेंदूखेड़ा तहसील तेंदूखड़ा जिला, दमोह

....पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

बनाम्

कल्लू चंद जैन बल्द भैयालाल जैन

साकिन तारादेही तहसील तेंदूखेड़ा जिला, दमोह ...उत्तरवादी/आवेदक

द्वारा आज दि. 26-2-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-3-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 26-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता। विरूद्ध आदेश दिनांक 9/2/2018 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार तेंदूखेड़ा तहसील तेंदूखेड़ा जिला, दमोह अंदर रा.प्र.क्र. 2अ/70 वर्ष 2017-18 पक्षकार कल्लू चंद जैन बनाम गौरीशंकर साहू जिसमें धारा 250 (3) के तहत् अंतरिम कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तेंदूखेड़ा ह.नं. 12/45 तहसील तेंदूखेड़ा में स्थित खसरा नंबर 545/8 रकवा 0.009 का आवेदक ने अभिलिखित भूमि बताकर तथा उसे रामेश्वर प्रसाद पारासर से दिनांक 2/6/1992 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय कर कब्जा प्राप्त करना बताकर दिनांक 7/10/2017 को अनावेदक ने जबरन कब्जा कर निर्माण करना बताकर धारा 250 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत् कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके आवेदन का जबाव अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक के आवेदन पत्र की ग्राह्यता पर भी आपत्ति उठाई गई इसी बीच आवेदक ने एक आवेदन पत्र धारा 250 (3)मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई, परंतु विद्वान तहसीलदार महोदय ने आवेदक साक्ष्य न कराकर ... दिनांक 9/2/2018

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1411

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/04/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के. शुक्ला उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है यह प्रकरण धारा-250 का है। तहसीलदार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष अवैध कब्जा के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज अथवा आदेश प्रस्तुत नहीं किया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण के निराकरण तक अनावेदक को अंतरिम कब्जा दिलाये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसे कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिस कारण यह निगरानी ग्राह्य की जा सके। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है। प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी गुण-दोष पर अभी होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	